

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

:: प्रेस-विज्ञप्ति ::

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 231-चरखारी (महोबा), 315-फरेंदा (महराजगंज) तथा 358-रसड़ा (बलिया) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम नियत किया गया है:-

(1) निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक-	17.03.2015 (मंगलवार)
(2) नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक-	24.03.2015 (मंगलवार)
(3) नाम निर्देशनों की जांच हेतु दिनांक-	25.03.2015 (बुद्धवार)
(4) नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक-	27.03.2015 (शुक्रवार)
(5) मतदान का दिनांक	11.04.2015 (शनिवार)
(6) मतगणना का दिनांक-	15.04.2015 (बुद्धवार)
(7) वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जायेगा-	18.04.2015 (शनिवार)
(8) मतदान का समय	पूवाहन 08:00 बजे से सायं 05:00 बजे

2- उक्त उप निर्वाचन के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबन्ध जनपद महोबा, महराजगंज तथा बलिया में आयोग के निर्देश संख्या-437/6/आईएनएसटी/2012/सीसी एण्ड बीई दिनांक 26 अप्रैल, 2012 में दिये गये आंशिक संशोधनों के अनुसार लागू हो गये हैं। इसके अंतर्गत मनरेगा की योजनाओं के कार्यान्वयन, प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, पेयजल, नलकूपों की खुदाई, चारा के सन्दर्भ में राहत देने एवं कार्य प्रारम्भ करने, कृषि तथा किसानों को दिये जाने वाले अनुदान, सांसद, सदस्य विधान सभा, सदस्य विधान परिषद की स्थानीय विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों को सम्मिलित करते हुए नये विकास कार्य (लाभार्थी या कार्यान्मुख), नयी परियोजनाओं, कार्यक्रमों, रियायतों, वित्तीय अनुदानों की घोषणा एवं प्रारम्भ किया जाना, सम्पत्ति का विरूपण, प्रचार अभियान में शासकीय सम्पत्ति के प्रयोग आदि को विनियमित करने वाले आयोग द्वारा निर्गत सभी निर्देश उप निर्वाचन वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सन्दर्भ में ही लागू होंगे, न कि पूरे जिले में, जहाँ वह निर्वाचन क्षेत्र अवस्थित है।

3- तथापि, मन्त्रियों के भ्रमण, वाहनों, विज्ञापनों, सरकारी अतिथि गृहों के प्रयोग अधिकारियों के स्थानांतरण जैसे विषयों पर आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में आयोग के विद्यमान अन्य सभी निर्देश तथा उक्त प्रस्तर में उल्लिखित निर्देशों के अतिरिक्त आयोग के अन्य निर्देश उस सम्पूर्ण जिले में लागू रहेंगे जहाँ उप निर्वाचन वाला निर्वाचन क्षेत्र अवस्थित है।

लखनऊ:

दिनांक: 10 मार्च, 2015


10/3/15
(रमाकान्त पाण्डेय)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या:193(1)/सीईओ-2-तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया इस प्रेस नोट को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
4. जिला निर्वाचन अधिकारी महोबा, महाराजगंज तथा बलिया
5. मण्डलायुक्त चित्रकूटधाम, गोरखपुर तथा आजमगढ़।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मा0 अध्यक्ष/महामंत्री समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।


10/3/15

(रमाकान्त पाण्डेय)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

